राष्ट्रीय लोक अदालत–2022

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 94 / 2021

गोपाल लाल पुत्र श्रवणलाल जाति बांसफोड निवासी मांगरोल तहसील मांगरोल

.....वादी

**बनाम**

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

.....प्रतिवादी

**वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0**

पीठासीन अधिकारी : श्री रजत कुमार विजयवर्गीय (आरएएस)
वकील वादी : श्री हरिओम प्रजापति
दायरा दिनांकः 19.08.2021 निर्णय दिनांक : 12.11.2022

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी के शामालाती खाते की आराजी खाता संख्या 155 खसरा नं0 205 रकबा 1.36 है0 वाके ग्राम कराडिया तहसील मांगरोल में स्थित है। जिसमें वादी का नाम रामगोपाल पुत्र श्रवणलाल दर्ज हो रहा है। जबकि वादी का वास्तविक नाम गोपाललाल पुत्र श्रवणलाल है। जिसको वादी रामगोपाल पुत्र श्रवणलाल के स्थान पर गोपाललाल पुत्र श्रवणलाल दुरूस्त करवाने का कानूनी अधिकारी है। वादी का नाम अन्य दस्तावेजों राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र आदि में गोपाललाल पुत्र श्रवणलाल दर्ज हो रहा है। इसलिए अपना नाम राजस्व रेकार्ड में रामगोपाल पुत्र श्रवणलाल के स्थान पर गोपाललाल पुत्र श्रवणलाल दर्ज करवाने की घोषणा करवाने का अधिकारी है। अतः उक्त विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम रामगोपाल पुत्र श्रवणलाल के स्थान पर गोपाललाल पुत्र श्रवणलाल दुरूस्त किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावें।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 19.08.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार मांगरोल को जांच रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार मांगरोल से प्राप्त रिपोर्ट पत्रांक / राजस्व / 2022 / 1324 दिनांक 18.08.2022 के अनुसार रामगोपाल पुत्र श्रवणलाल एवं गोपाललाल पुत्र श्रवणलाल दोनो नाम एक ही व्यक्ति के नाम है अन्य अलग–अलग नही है। अतः राजस्व रेकार्ड में वादी का सही नाम गोपाललाल उर्फ रामगोपाल सा0 देह दर्ज किया जाना उचित है।

अतः पत्रावली के अवलोकन, तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजो तथा बयान गवाह वादी स्वयं के आधार पर आराजी खाता संख्या 155 खसरा नं0 205 रकबा 1.36 है0 वाके ग्राम कराडिया तहसील मांगरोल की राजस्व जमाबंदी में दर्ज वादी का नाम रामगोपाल पुत्र श्रवणलाल के स्थान पर गोपाललाल उर्फ रामगोपाल पुत्र श्रवणलाल दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है, एवं इसके साथ–साथ यदि वादी के पुराने नाम को लेकर किसी प्रकार के कोई आपराधिक या अन्य विवाद न्यायालय में जैरकार हो उसके लिए वादी स्वयं जिम्मेवार होंगा। पत्रावली फैशल शुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2022 को खुले न्यायालय में मजमेआम सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

(रजत कुमार विजयवर्गीय)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल